राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 18 / 2018
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2018 / 00107
3. निर्णय दिनांक– 26.2.2021
4. संशोधित निर्णय–20.11.2024

उनवानी–

1. गोपाल सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाजोता तह0 रूपनगढ़

....प्रार्थी

बनाम

1. प्रभूराम पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़ (Delete)
2. श्योचन्द पुत्र भैरू जाति जाट निवासी ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़ (Delete)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री गौरीशंकर बियाणी अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त उनवानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 (क) में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 26.02.2021 को पारित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा निर्णय की पालना में अप्रार्थीगण को रास्ते के पुनर्भरण हेतु राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर अप्रार्थीगण को भिजवाये गये। तत्समय अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त किये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधीकारी, अजमेर के अपील पेश की। न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधीकारी अजमेर ने पत्रावली को यह कहते हुए रिमाण्ड कर दी कि उभयपक्षकारान की मौजुदगी में पुनः सुना जाकर निर्णय पारित किया जावें। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधीकारी, अजमेर के निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस भिजवाये गये। दिनांक 21.03.2024 को प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहिए इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम प्रकरण से डिलीट करने के आदेश फरमावें। जिस पर उन्हें सुना जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम को हटाने (Delete) के आदेश दिये गये।

प्रकरण में वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम प्रकरण से हटाने के आदेश दिये गये। प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम हटाने के कारण शेष निर्णय दिनांक 26.02.2021 यथावत रखा जाता है।

फैसला आज दिनांक 20.11.2024 सुनवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)